

महत्त्वपूर्ण / उच्च प्राथमिकता



## उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

चतुर्थ तल, किसान मण्डी भवन, विनूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010

फोन / फैक्स नं. 0522-4150377

पत्रांक: 18 / प्रावि-18 (वन) / 14-15 / उपशा / लखनऊ

दिनांक: 22.04.2015

संज्ञा में

प्रभागीय वनाधिकारी,  
मीरजापुर वन प्रभाग,  
मीरजापुर।

विषय:—वाराणसी—शक्तिनगर मार्ग का किमी 5.050 से किमी 10.050 तक के भाग उच्चीकरण हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक मार्ग के किमी 5.050 से किमी 10.050 तक के भाग का उच्चीकरण कराने हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस प्रस्ताव सं०-FP/UP/ROAD/11864/2015 Dt. 20.04.2015 वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है एवं नोडल अधिकारी वन विभाग, उ०प्र० लखनऊ द्वारा परीक्षण कर लिया गया है एवं प्रस्ताव उपयुक्त बताया गया है। अतः सम्बन्धित प्रस्ताव की हार्ड कापी 6 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अनुरोध है कि प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर के माध्यम से नोडल अधिकारी, वन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को अतिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर०बी० सिंह)

महाप्रबन्धक (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपशा लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
3. नोडल अधिकारी, वन विभाग, उ०प्र० अरण्य भवन, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. सदस्य (तकनीकी) / परियोजना निदेशक (पूर्व) / परियोजना निदेशक (वन), उपशा, लखनऊ।

(आर०बी० सिंह)

महाप्रबन्धक (तकनीकी)

महत्वपूर्ण / उच्च प्राथमिकता

## उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण



चतुर्थ तल, किसान मण्डी भवन, विमूक्ति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010

फोन / फैक्स नं० 0522-4150377

पत्रांक: 158 / प्रावि-18 (वन) / 14-15 / उपशा / लखनऊ

दिनांक: 22.04.2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
मीरजापुर वन प्रभाग,  
मीरजापुर।

विषय:- वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग का किमी० 5.050 से किमी० 10.050 तक के भाग उच्चोकरण हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग के किमी० 5.050 से किमी० 10.050 तक के भाग का उच्चोकरण कराने हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस प्रस्ताव सं०-FP/UP/ROAD/11864/2015 Dt. 20.04.2015 वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है एवं नोडल अधिकारी वन विभाग, उ०प्र० लखनऊ द्वारा परीक्षण कर लिया गया है एवं प्रस्ताव उपयुक्त बताया गया है। अतः सम्बन्धित प्रस्ताव की हार्ड कापी 6 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अनुरोध है कि प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर के माध्यम से नोडल अधिकारी, वन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को अतिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर०बी० सिंह)

महाप्रबन्धक (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपशा लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, मीरजापुर को प्रस्ताव की एक प्रति संलग्नक के साथ।
3. नोडल अधिकारी, वन विभाग, उ०प्र० अरण्य भवन, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. सदस्य (तकनीकी) / परियोजना निदेशक (पूर्व) / परियोजना निदेशक (वन), उपशा, लखनऊ।

(आर०बी० सिंह)

महाप्रबन्धक (तकनीकी)

